भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण सुविधाः

भारतीय संविधान की धारा 350(क) के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने का स्पष्ट प्रावधान है। राजस्थान में उर्दू, सिंधी, पंजाबी एवं गुजराती की (चारों) भाषायी अल्पसंख्यकों की भाषाओं को मान्यता प्रदान की गयी है । इन भाषाओं के बोलने वाले लोगों को उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक आकांक्षाओं के अनुसार अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी सुविधा प्रदान की गयी है। गुजराल समिति के अनुसार राज्य के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पूरी शाला में कम से कम 40 या विद्यालय की एक कक्षा में 10 छात्र–छात्रा अपनी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हों तो इसकी व्यवस्था करके प्राथमिक स्तर पर उनकी शिक्षा देने की सुविधा प्रदान की जाती है । राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर इच्छुक छात्र–छात्राओं को उनकी भाषायी अल्पसंख्यक भाषा माध्यमिक स्तर पर तृतीय भाषा के रूप में एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर ऐच्छिक विषय के रूप में पढने की सुविधा प्रदान की गयी है । इन माध्यमिक /उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किसी एक कक्षा में अल्पभाषी विद्यार्थियों की संख्या 15 या पूरे विद्यालय में 60 विद्यार्थी अपनी भाषा में अध्ययन करना चाहते हों तो यह सुविधा उपलब्ध करायी जाती है ।

विद्यालयः

राज्य में भाषाई अल्प संख्यक भाषाओं के अध्ययन हेतु संचालित राजकीय विद्यालयः–

विद्यालय	भाषाई अल्प संख्यक भाषा संचालित विद्यालयों की संख्या			
	उर्दू	सिंधी	गुजराती	पंजाबी
माध्यमिक/उच्च माध्यमिक	347	25	10	68

उर्दू, सिंधी, गुजराती एवं पंजाबी के स्वीकृत पदों की सूचना

अल्पभाषा	स्वीकृत पद		
	व्याख्याता	वरिष्ठ अध्यापक	अध्यापक
उर्दू	58	319	140
सिंधी	13	18	14
गुजराती	01	09	00
पंजाबी	12	23	42
योग	84	369	196